29/08

पत्रावली पेश हुई। (राजस्व लोक...) वकील वादीगण व स्वयं वादीगण को न्यायालय समक्ष तक खक खक कर कई बार आवाज लगवाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रनिस्टर क्रम से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

प्रभारी अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ए...
...क मजिस्ट्रेट जयपुर शहर प्रथम ज...
(राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट अभियान 20...

Scanned by CamScanner